

महिला आरक्षण वधियक 2023

प्रलिस के लयि:

संसद और राज्य वधियनसभाएँ, दलिली को वशिष दर्जा, आरक्षण प्रावधान और सकारात्मक नीतयिँ

मेन्स के लयि:

लोकसभा और राज्य वधियनसभाओं के लयि आरक्षण प्रावधानों के बीच अंतरसंबंध, अन्य राज्य वधियनसभाओं और दलिली वधियनसभा के बीच अंतर

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [लोकसभा](#) और [राज्यसभा](#) दोनों ने **महिला आरक्षण वधियक 2023 (128वाँ संवैधानिक संशोधन वधियक)** अथवा नारी शक्तविंदन अधिनियम पारति कर दयि।

- यह वधियक लोकसभा, राज्य वधियनसभाओं और दलिली वधियनसभा में **महिलाओं के लयि एक-तहिाई सीटें आरक्षणति करता है।** यह लोकसभा और राज्य वधियनसभाओं में अनुसूचति जातति तथा अनुसूचति जनजातति के लयि आरक्षणति सीटों पर भी लागू होगा।

वधियक की पृष्ठभूमि और आवश्यकता:

- पृष्ठभूमि:**
 - महिला आरक्षण वधियक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बहिरि वाजपेई के कार्यकाल से ही की जाती रही है।
 - चूँकि तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलयि वधियक को मंजूरी नहीं मलि सकी।
 - महिलाओं के लयि सीटें आरक्षणति करने हेतु कयि गए प्रयास:
 - 1996:** पहला महिला आरक्षण वधियक संसद में पेश कयि गया।
 - 1998 - 2003:** सरकार ने 4 अवसरों पर वधियक पेश कयि लेकनि पारति कराने में असफल रही।
 - 2009:** वभिनिन वरिोधों के बीच सरकार ने वधियक पेश कयि।
 - 2010:** केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा पारति।
 - 2014:** वधियक को लोकसभा में पेश कयि जाने की उम्मीद थी।
- आवश्यकता:**
 - लोकसभा में 82 महिला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 महिलाएँ (13%) हैं।
 - जबकि पहली लोकसभा (5%) के बाद से यह संख्या काफी बढी है लेकनि **कई देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है।**
 - हाल के संयुक्त राष्ट्र महिला आँकड़ों के अनुसार, रवांडा (61%), क्यूबा (53%), नकारागुआ (52%) महिला प्रतनिधित्व में शीर्ष तीन देश हैं। **महिला प्रतनिधित्व के मामले में बांग्लादेश (21%) और पाकस्तान (20%) भी भारत से आगे हैं।**

वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- नचिले सदन में महिलाओं को आरक्षण:**
 - वधियक में संवधियन में **अनुच्छेद 330A** शामिल करने का प्रावधान कयि गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लयि गया है। यह लोकसभा में अनुसूचति जातति/अनुसूचति जनजातति के लयि सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
 - वधियक में प्रावधान कयि गया कि महिलाओं के लयि आरक्षणति सीटें राज्यों या केंद्रशासति प्रदेशों में वभिनिन नरिवाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटति की जा सकती हैं।
 - अनुसूचति जातति/अनुसूचति जनजातति के लयि आरक्षणति सीटों में, वधियक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लयि एक-तहिाई सीटें आरक्षणति करने की मांग की गई है।

■ राज्य वधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:

- वधियक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है, जो हर राज्य वधानसभा में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षण सीटों में से एक-तहाई महिलाओं के लिये आवंटित की जानी चाहिये तथा वधान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक-तहाई भी महिलाओं के लिये आरक्षणित होनी चाहिये।

■ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली में महिलाओं के लिये आरक्षण (239AA में नया खंड):

- संवधान का [अनुच्छेद 239AA](#) केंद्रशासित प्रदेश दलिली को उसके प्रशासनिक और वधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है।
- वधियक द्वारा [अनुच्छेद 239AA\(2\)\(b\)](#) में तदनुसार संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दलिली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे।
- **आरक्षण की शुरुआत (नया अनुच्छेद - 334A):**
- इस वधियक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षणित करने हेतु परसिमन किया जाएगा।
- आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा। हालाँकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तथितिक जारी रहेगा।

■ सीटों का रोटेशन:

- महिलाओं के लिये आरक्षणित सीटें प्रत्येक परसिमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वधियक के वरिोध में तरक:

- वधियक में केवल इतना कहा गया है कि यह "इस उद्देश्य के लिये परसिमन की कवायद शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिये प्रासंगिक आँकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा।" यह चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित हिससा मलिया।
- वर्तमान वधियक राज्यसभा और राज्य वधानपरषिदों में महिला आरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो नचिले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिंबित होना चाहिये।

नोट: वधियक को संवधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों से भी लिया गया है, जो संसद को कानूनों के असत्तित्व में आने के 70 वर्षों के बाद आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिये बाध्य करता है। लेकिन महिला आरक्षण वधियक के मामले में, वधियक में महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों की संसद द्वारा समीक्षा किये जाने के लिये 15 वर्ष के सनसेट क्लॉज़ का प्रावधान किया गया है।

कानूनी अंतरदृष्टि: [नारी शक्त विंदन अधिनियम](#)